न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 918 सन 2026

(CNR No. UPFT-010024062026)

आसिफ खान पुत्र हबीब खान निवासी एकारी थाना थरियांव जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 35 सन 2026
धारा: 318(2),318(4),319(2) व 338, 336(3), 340(2) एवं 61 भारतीय न्याय संहिता व धारा 13(2), 13(3), 13(4) एवम् 13(5) उ0प्र0सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश
थाना: थरियांव, जनपद फतेहपुर।

30.05.2026 :

आवेदक/अभियुक्त आसिफ खान की ओर से उक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 35 सन 2026 धारा 318(2), 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 13(2), 13(3), 13(4), 13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम थाना थरियांव जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त को पूर्व आदेशानुसार आज तक अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था और आज आवेदक/अभियुक्त ने अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है तथा इस आशय के प्रमाणपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से हबीब खान द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राकेश सिंह ने दिनांक 27.02.2026 को सम्बन्धित थाने में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा 2026 के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2026 को परीक्षा केन्द्र कोड 1727 पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज दानियालपुर फतेहपुर में प्रथम पाली विषण गणित की परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व आन्तरिक सचल दल द्वारा एक परीक्षार्थी मोहम्मद अफजल अनुक्रमांक 12615XXXXX पंजीकृत विद्यालय डा0 मेवाराम दिव्य ज्ञान इं0का0 मुरांव फतेहपुर द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र लेकर गनेश कुमार (छद्म परीक्षार्थी) को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करते हुए आन्तरिक सचल दल द्वारा पकड़ा गया तथा कक्ष निरीक्षकों द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात चार छद्म परीक्षार्थियों की सूचना केन्द्र व्यवस्थापक, वाहय केन्द्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को दी गयी। तत्पश्चात कक्ष निरीक्षकों व सचल दल के सहयोग से चार छद्म परीक्षार्थियों एवं उनके द्वारा दिये गये बयान का विवरण निम्नवत् है– **1.** छद्म परीक्षार्थी गनेश कुमार प्रधानाचार्य डा0 मेवाराम दिव्य ज्ञान इण्टर कालेज मुरांव शिक्षक मनोज कुमार (एकारी) के कहने पर परीक्षार्थी मो0 अफजल अनुक्रमांक 12615XXXXX के स्थान पर गणित विषय की परीक्षा देने आया था, **2.** छद्म परीक्षार्थी लक्ष्मण कुमार प्रधानाचार्य डा0 मेवाराम दिव्य ज्ञान इण्टर कालेज मुरांव के कहने पर शिव कुमार अनुक्रमांक 12615XXXXX के स्थान पर गणित विषय की परीक्षा देने आया था, **3.** छद्म परीक्षार्थी प्रदीप कुमार प्रधानाचार्य आदर्श उच्चतम माध्यमिक विद्यालय सीतापुर बहरामपुर के कहने पर सौरभ अनुक्रमांक 12615XXXXX के स्थान पर गणित विषय की परीक्षा देने आया था, **4.** छद्म परीक्षार्थी रवि प्रधानाचार्य ओ0पी0 यादव, आई0सी0 बिलन्दा आदर्श उच्चतम माध्यमिक विद्यालय सीतापुर बहरामपुर के कहने पर आसिफ खान अनुक्रमांक 12615XXXXX के स्थान पर गणित विषय की परीक्षा देने आया था **तथा 5.** छद्म परीक्षार्थी युवराज सिंह प्रधानाचार्य आदर्श हा0से0 स्कूल सीतापुर बहरामपुर के कहने पर गुलाम वारिस अनुक्रमांक 12615XXXXX के स्थान पर गणित विषय की परीक्षा देने आया था जो ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पैसों के लालच द्वारा सम्मिलित कराया गया। उक्त छद्म परीक्षार्थियों एवं उनके बयान में उल्लिखित सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में रंजिशन झूंठा फंसाया गया। आवेदक का कथित घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राथमिकी विधिक परामर्श कर विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है और न ही उसकी संलिप्तता का कोई कथन है। आवेदक द्वारा न तो कोई परीक्षा फार्म भरा गया और न ही अपनी फोटो चस्पा की गयी। आवेदक का फार्म किसके द्वारा और कब भरा गया, इसकी जानकारी नहीं है। आवेदक को कथित फार्म जिस पर परीक्षा दी जा रही थी, की कोई जानकारी नहीं है और न ही आवेदक किसी रवी को नहीं जानता और न ही कभी उससे मिला। कथित विद्यालय व केन्द्र व्यवस्थापक की ही भूमिका रही है। आवेदक विगत चार वर्ष से सूरत में रहकर लिफ्ट रिपेयरिंग का कार्य करता है और सूरत में ही रह रहा था तथा प्रकरण की जानकारी होने पर घर आया। आवेदक के विरूद्ध कथित अपराध नहीं बनता है। सह अभियुक्तगण की जमानतें माननीय सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है किन्तु दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। आवेदक/ अभियुक्त के ही स्थान पर कूटरचित प्रपत्र/आई0डी0 आदि के आधार पर सह अभियुक्त रवि सहित अन्य सह अभियुक्तगण वास्तविक परीक्षार्थी मो0 अफजल, सौरभ, मोहम्मद अफजल आदि के स्थान पर परीक्षा देते हुए आन्तरिक सचल दल द्वारा विद्यालय में पकड़ा गया है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त के स्थान पर सह अभियुक्त कूटरचित प्रवेश पत्र आदि के आधार पर हाईस्कूल गणित विषय की परीक्षा देने सह अभियुक्त रवि गया। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार सह अभियुक्त रवि को प्रधानाचार्य ओ0पी0 यादव आई0सी0 बिलन्दा एवं दलाल मनोज कुमार (एकारी) के कहने पर आवेदक/अभियुक्त के स्थान पर परीक्षा देने जाना बताया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही आवेदक/अभियुक्त को मौके पर पकड़ा गया है अपितु उसका नाम मात्र सह अभियुक्त के बयान से प्रकाश में आना बताया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार सह अभियुक्तगण के कब्जे से कूटरचित प्रवेश पत्र व आधार कार्ड आदि बरामद होना बताया गया है किन्तु उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है और न ही उक्त अभिलेखों की कूटरचना किये जाने में आवेदक/अभियुक्त की कोई भूमिका बतायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त पर अभिकथित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा परीक्षणीय है। सम्बन्धित थाने से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सह अभियुक्तगण गणेश कुमार, प्रदीप कुमार, रवि कुमार, लक्ष्मण कुमार , मनोज कुमार, शिवकुमार व मोहम्मद अफजल की जमानतें इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और आवेदक/अभियुक्त का मामला भी उन्हीं के समान बताया गया है।

अत: मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा, समानता के आधार को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आसिफ खान की ओर से अपराध उपरोक्त में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोपपत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी अभियोजन साक्ष्य को दबाव में लेने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्य से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रभावित करेगा।

6. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा और धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के समय स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

दिनांक: 30.05.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.05.30 13:44:09 +05'30'